छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर

क्रमांक 1491/वित्त/ब–4/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/07/22

प्रति,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, अटल नगर

(2) समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः– भारत सरकार से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश राशि के व्यय/आहरण कर एस.एन.ए. खाते में अंतरण के संबंध में।

संदर्भः– वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार का पत्र क्रमांक एफ 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2022 दिनांक 07.07.2022

---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक राज्य को विमुक्त की गयी केन्द्रांश राशि दिनांक 20 जुलाई 2022 तक अनिवार्यतः संबंधित योजना के एस.एन.ए. खाते में अंतरित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में न केवल भारत सरकार द्वारा पूर्व में विमुक्त केन्द्रांश राशि को वापस लिया जायेगा, अपितु इस वित्तीय वर्ष में उन योजनाओं में राज्य को केन्द्रांश राशि प्राप्त होने में भी कठिनाई होगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के उक्त निर्देश के पालन में इस पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र वित्त विभाग को दिनांक 19.07.2022 तक अनिवार्यतः प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

18/07/2022
(ऋषभ पाराशर)
उप सचिव

Scanned with CamScanner

# प्रमण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ............................................................ विभाग के अंतर्गत प्रचलित सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भारत सरकार से दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्राप्त केन्द्रांश राशि का कोषालय से आहरण कर व्यय किया जा चुका है अथवा संबंधित योजनाओं के स्टेट नोडल एजेंसी खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। किसी भी केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त कोई केन्द्रांश राशि वर्तमान में कोषालय से आहरण हेतु शेष नहीं है।

विभागाध्यक्ष

भारसाधक सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
.....................विभाग

Scanned with CamScanner